



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक: 003 / 2003 / का.आ. / 02-66 / 2022

दिनांक : 10.05.2022

कार्यालयादेश

कार्यालयादेश संख्या 003 / 2003 / का.आ. / 02-103 / 2021 दिनांक 27.05.2021 के माध्यम से विश्वविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ में बिंदु क्रमांक 4 के अंतर्गत वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी के रूप में प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल, वित्ताधिकारी को सदस्य नामित किया गया था।

कार्यालयादेश क्रमांक 006 / Admin/203/01 Vol. IV/670 दिनांक 11.04.2022 के माध्यम से श्री पी. सरदार सिंह, संयुक्त कुलसचिव को अगले आदेश तक वित्ताधिकारी का दायित्व सौंपे जाने के परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी के रूप में आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ में सदस्य नामित किया जाता है।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)

10/05/22

प्रति (ई-मेल द्वारा) :

श्री पी. सरदार सिंह
कार्यकारी वित्ताधिकारी
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ के सभी सदस्य
2. विश्वविद्यालय वेबसाइट
3. संबंधित पत्रावली